



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 175]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 24, 2013/आषाढ़ 3, 1935

No. 175]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 24, 2013/ASHADHA 3, 1935

भारतीय दंत्य परिषद

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जून, 2013

सं. डीई-130-2013.—भारतीय दंतचिकित्सक अधिनियम 1948 के खंड 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दंत्य परिषद खंड 20 के उप-खंड 2 की धारा (छ) तथा (ज) में यथानिर्धारित राज्य सरकार से परामर्श के बाद तथा केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति से भारत के दिनांक 10 सितंबर, 2007 के असाधारण राजपत्र के भाग III, खंड 4 में प्रकाशित मूल संशोधित बीडीएस पाठ्यक्रम विनियम, 2007 के 9 दिसंबर, 2011 को भारत के असाधारण राजपत्र के भाग III, खंड 4 में प्रकाशित संशोधित बीडीएस पाठ्यक्रम (चौथा संशोधन) विनियम, 2011 में निम्नानुसार और आगे संशोधन करती है :—

1. संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रवर्तन

- (i) ये विनियम भारतीय दंत्य परिषद संशोधित बीडीएस पाठ्यक्रम (छठा संशोधन) विनियम, 2013 कहलाएंगे।
- (ii) ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. "भारतीय दंत्य परिषद संशोधित बीडीएस पाठ्यक्रम (चौथा संशोधन) विनियम, 2007" में पहले परंतुक के नीचे निम्न दूसरा परंतुक सन्निविष्ट किया जाएगा :—

"आगे शर्त यह है कि 2007-2008 के बीडीएस बैच के जो छात्र स्थिति अनुसार 4½ + 6 महीने के प्रदत्त रोटेरी स्थानबद्ध प्रशिक्षण सहित अथवा 5 वर्ष की अवधि का पाठ्यक्रम पास कर लेते हैं, वे संशोधित बीडीएस पाठ्यक्रम (चौथा संशोधन) विनियम, 2011 के अनुसार सभी आशयों और प्रयोजनों के लिए जैसे कि एमडीएस पाठ्यक्रम में दाखिले, सरकारी नौकरियों के निमित्त आवेदन करने, राज्य दंत्य परिषदों में पंजीकरण आदि के लिए एक वर्ष के प्रदत्त रोटेरी स्थानबद्ध कार्यक्रम सहित 4+1 वर्ष के बीडीएस पाठ्यक्रम के बराबर/समतुल्य समझे जाएंगे।"

3. भारतीय दंतचिकित्सक अधिनियम 1948 के खंड 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दंत्य परिषद खंड 20 के उप-खंड 2 की धारा (छ) तथा (ज) में यथानिर्धारित राज्य सरकार से परामर्श के बाद तथा केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति से भारत के दिनांक 10 सितंबर, 2007 के असाधारण राजपत्र के भाग III, खंड 4 में प्रकाशित मूल संशोधित बीडीएस पाठ्यक्रम विनियम 2007 के 1 जून, 2012 को भारत के असाधारण राजपत्र के भाग III, खंड 4 में प्रकाशित संशोधित बीडीएस पाठ्यक्रम (पांचवां संशोधन) विनियम, 2007 में निम्नानुसार और आगे संशोधन करती है :—
1. मौजूदा संशोधित बीडीएस पाठ्यक्रम (पांचवां संशोधन) विनियम, 2007 के संक्षिप्त शीर्षक में वर्ष '2007' के स्थान पर '2012' पढ़ा जाए।
4. भारतीय दंतचिकित्सक अधिनियम 1948 के खंड 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दंत्य परिषद खंड 20 के उप-खंड 2 की धारा (छ) तथा (ज) में यथानिर्धारित राज्य सरकार से परामर्श के बाद तथा केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति से भारत के दिनांक 10 सितंबर, 2007 के असाधारण राजपत्र के भाग III, खंड 4 में प्रकाशित मूल संशोधित बीडीएस पाठ्यक्रम विनियम 2007 के 25 अगस्त, 2011 को भारत के असाधारण राजपत्र के खंड III, भाग 4 में प्रकाशित संशोधित बीडीएस पाठ्यक्रम (तीसरा संशोधन) विनियम, 2011 में निम्नानुसार और आगे संशोधन करती है :—
1. शीर्षक III 'परीक्षा की योजना' के नीचे पैरा 2 की पहली पंक्ति में एतद्वारा 'सेमेस्टर' शब्द के स्थान पर जहां कहीं लागू हो वहां 'भाग I अथवा भाग II प्रतिस्थापित किया जाएगा।

कर्मल (सेवानिवृत्त) डॉ. एस. के. ओझा, कार्यवाहक सचिव

[विज्ञापन—III/4/असाधारण/98/13]

पाद टिप्पणी : मूल विनियम तथा 'भारतीय दंत्य परिषद संशोधित बीडीएस पाठ्यक्रम विनियम, 2007' अधिसूचना के रूप में भारत के असाधारण राजपत्र के भाग III, खंड (4) में 10 सितंबर, 2007 को प्रकाशित किए गए थे जिन्हें दिनांक 11.1.2008, 29.10.2010, 25.8.2011, 9.12.2011, 1.6.2012 की राजपत्रित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किया गया।

DENTAL COUNCIL OF INDIA NOTIFICATION

New Delhi, the 24th June, 2013

No. DE-130-2013.—In exercise of the powers conferred by Section 20 of the Dentists Act, 1948, the Dental Council of India after consultation with the State Government as prescribed in clause (g) & (h) of sub-section 2 of Section 20, and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following further Amendments to the Revised BDS Course (4th Amendment) Regulations, 2011, published in Part III, Section 4 of the Gazette of India, Extraordinary, dated 9th December 2011, to the Principal Revised BDS Course Regulations, 2007 published in Part III, Section 4 of the Gazette of India, Extraordinary, dated 10th September 2007 :—

1. **Short title and commencement:—**

- (i) These Regulations may be called the Dental Council of India Revised BDS Course (6th Amendment) Regulations, 2013.
- (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In "Dental Council of India Revised BDS Course (4th Amendment) Regulations, 2007", the following second proviso, below the first proviso thereof, shall be inserted :—

"Provided further that students of 2007-2008 BDS batch who are declared passed with 4½ + 6 months Paid Rotatory Internship or 5-year duration course, as the case may be, as per Revised BDS Course (4th Amendment) Regulations, 2011, shall be deemed at par/equivalent with 4+1-year BDS Course, including one year Paid Rotatory Internship programme, for all intents and purposes i.e. for admission in MDS Course, applying for Govt. Jobs, registration in State Dental Councils, etc."

3. In exercise of the powers conferred by Section 20 of the Dentists Act, 1948, the Dental Council of India after consultation with the State Government as prescribed in clause (g) & (h) of sub-section 2 of Section 20, and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following further Amendments to the Revised BDS Course (5th Amendment) Regulations, 2007, published in Part III, Section 4 of the Gazette of India, Extraordinary, dated 1st June 2012, to the Principal Revised BDS Course Regulations, 2007 published in Part III, Section 4 of the Gazette of India, Extraordinary, dated 10th September 2007 :—
1. In the short title of existing Revised BDS Course (5th Amendment) Regulations, 2007, the year “2007” be read as “2012”.
4. In exercise of the powers conferred by Section 20 of the Dentists Act, 1948, the Dental Council of India after consultation with the State Government as prescribed in clause (g) & (h) of sub-section 2 of Section 20, and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following further Amendments to the Revised BDS Course (3rd Amendment) Regulations, 2011, published in Part III, Section 4 of the Gazette of India, Extraordinary, dated 25th August 2011, to the Principal Revised BDS Course Regulations, 2007 published in Part III, Section 4 of the Gazette of India, Extraordinary, dated 10th September 2007 :—
1. In 1st line of 2nd paragraph under the heading (III) “Scheme of Examination”, the word “semester” is hereby substituted by the word “Part I or Part II, whichever is applicable”

Col. (Retd.) Dr. S.K. OJHA, Offg. Secy.

[ADVT-III/4/Exty./98/13]

Foot Note : The Principal Regulations namely, “Dental Council of India Revised BDS Course Regulations, 2007” were published in Part III, Section (4) of the Gazette of India vide Notification dated the 10th September, 2007 and amended vide Gazette Notifications dated 11.01.2008, 29.10.2010, 25.08.2011, 09.12.2011, 01.06.2012.